

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या :- 57

दिनांक 16/03/2023

आदेश

अधिशायी अभियंता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग परियोजना, बून्दी के पत्र क्रमांक:अ.अ./परि/उ.बून्दी/2022-23/1816-18 दिनांक 21.02.2023 से जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हिण्डोली - नैनवां पेयजल परियोजना जिला बून्दी(चम्बल-भीलवाडा फेज प्रथम से) के अन्तर्गत पाईप लाईन डालने हेतु आ रही रकबा 4.9975 हैक्टेयर वन भूमि को प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन/हस्तान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी के पत्र क्रमांक/एफ/एफसीए/उपसं, R.V.T.R./ 1311 दिनांक 13.3.2023 से ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ में आवंटित गैर-वनभूमि कुल रकबा 108.00 हैक्टेयर में से 4.9975 हैक्टेयर गैर-वनभूमि हेतु समायोजन किये जाने की सहमति व्यक्त की गई है।

अतः शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पत्र क्रमांक:प-6 (315)राज/ग्रुप-3/97 दिनांक 7.06.1999 से आवंटित ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ की 289.53 हैक्टेयर भूमि में से उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी की सहमति के आधार पर उक्तानुसार 4.9975 हैक्टेयर भूमि समायोजन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।



(डॉ० रविन्द्र गोस्वामी)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक 16/03/2023

क्रमांक - प.8-5(1) राजस्व/2023/3986-36

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली/ नैनवां/ लाखेरी
4. तहसीलदार हिण्डोली/ नैनवां/ इन्द्रगढ
5. अधिशायी अभियंता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग परियोजना, बून्दी
6. आदेश पत्रावली।



जिला कलक्टर, बून्दी